

॥ कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक र-4 (2) पुनर्गठन/जन/स्थाई आदेश./09/1260

दिनांक 6.8.2010

स्थाई आदेश क्रमांक 3/2010

विषयः— आतंकवाद निरोधक दस्ता के परिचालन हेतु अनुदेश।

राजस्थान पुलिस अधिनियम— 2007 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक एफ 14 (22) गृह-9/2008 दिनांक 3/4.9.2008 के द्वारा प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं से निपटने तथा उन पर प्रभावी नियन्त्रण के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस में 'आतंकवाद निरोधक दस्ता' नामक पूर्ण कालिक संगठन का गठन किया गया है। उक्त संगठन के परिचालन हेतु आवश्यक अनुदेश संलग्न है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

हौं

महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान एवं निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर।
3. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस राज०।
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस, दूरसंचार, राज०, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राज० पुलिस० प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक राज०।
7. समस्त कमाण्डेंट आरएसी बटालियन मय एमबीसी राज०।
8. समस्त कमाण्डेंट पीटीएस एवं पीएमडीएस बीकानेर, राज०।

महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।